Phone : 23710519
Fax : (91-11) 23730937, 23730682
E-mail : cvo@csir.res.in

CSIR
The Innovation Engine of India

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या
No. 15-3(134)/2023 (सतर्कता) दिनांक: 21 अप्रैल, 2025

प्रेषक
From
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख

विषय: क्रय प्रक्रिया में प्रणालीगत सुधार के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में।

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सीटीई विंग (CTE) ने कुछ क्रय मामलों की गहन जांच के आधार पर कुछ टिप्पणियां की थी। तदनुसार, सूचना और अनुपालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं।

1. **GeM/CPPP पोर्टल पर निविदाओं का प्रकाशन (पब्लिकेशन ऑफ टेंडर्स ऑन CPPP/GeM पोर्टल):** यह देखा गया है कि कुछ मामलों में निविदा, पुनः निविदा करते समय और CPPP/GeM पोर्टल पर शुद्धिपत्र जारी करते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रयोगशालाओं/संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे CPPP/GeM पोर्टल पर निविदाएं अपलोड करने की प्रक्रिया के विषय में डीलिंग असिस्टेंट/स्टाफ को प्रशिक्षित करें ताकि इस तरह की त्रुटियां न हों।

2. **बोली पूर्व बैठक/सम्मेलन (प्री–बिड मीटिंग्स/कॉन्फ्रेन्सेस):** बोली पूर्व (प्री–बिड) बैठक क्रय में पारदर्शिता बढ़ाने और निर्धारित तकनीकी और वाणिज्यिक मानदंडों पर आपत्ति करने के लिए संभावित बोलीदाताओं (बिडर्स) को उचित अवसर प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है।
अतः बोली–पूर्व बैठकों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करना और साथ ही इनका उचित कार्यवृत्त रखना आवश्यक है। विक्रेताओं द्वारा 'उठाए गए प्रश्नों' और उन्हें 'दिए गए उत्तर' इस कार्यवृत्त में दिए जाएं और उन्हें वेबसाईट तथा सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। मैनुअल और जीएफआर के अनुसार पीबीसी के आयोजन के लिए प्रासंगिक प्रक्रिया का पालन किया जाए।

जारी......

3. **हितों के टकराव न होने संबंधी घोषणा (नो कॉन्फ़्लिक्ट ऑफ इन्ट्रेस्ट डिक्लेरेशन):** यह देखा गया है कि कभी–कभी तकनीकी उप–समिति के सदस्यों से हितों का टकराव न होने संबंधी घोषणा नहीं ली जा रही है। प्रत्येक मामले में यह घोषणा अनिवार्यत: ली जाए।

4. **बोलीदाताओं के पिछले प्रदर्शन के संबंध में पात्रता मानदंडों का सत्यापन (वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिडर्स):** निविदाओं में सामान्यत: ''समान वस्तुओं'' के लिए बोलीदाताओं के पिछले प्रदर्शन और अनुभव के बारे में मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि यह देखा गया है कि कभी–कभी एनआईटी में ''समान वस्तुओं'' की परिभाषा विस्तार से नहीं दी जाती है और बोली दाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का मूल्यांकन के दौरान उचित रूप से सत्यापन नहीं किया जाता है।
इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि ''समान वस्तुओं'' की परिषाभा यथासंभव विस्तार से दी जाए और इसी तरह बोलीदाताओं की योग्यता निर्धारित करने से पहले संबंधित संगठनों से विशेष रूप से महत्वपूर्ण उच्चतर मूल्यों के क्रय में स्वतंत्र रूप से बोली दाताओं के पिछले प्रदर्शन और अनुभव को सत्यापित करने का प्रयास किया जाए।

5. उपस्कर की स्थापना और प्रत्यावर्तन (इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग ऑफ इक्विपमेंट): यह देखा गया है कि कभी–कभी क्रय आदेश में उपस्कर की डिलीवरी और अधिष्ठापन की समय–सीमा अलग से नहीं दी जाती है। समय पर अधिष्ठापन और प्रत्यावर्तन करवाने के लिए, निविदा दस्तावेज़ और उसके बाद के क्रय आदेश में डिलीवरी, अधिष्ठापन और प्रत्यावर्तन के लिए अलग–अलग समय अवधि स्पष्ट रूप से बताई जाए।

6. बोलियों के तकनीकी–वाणिज्यिक और वित्तीय मूल्यांकन के लिए मानक प्रपत्रों का उपयोग (यूसेज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स फॉर टेक्नो कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल इवैल्युएशन ऑफ बिड्स): वित्त मंत्रालय द्वारा जारी माल क्रय संबंधी मैनुअल में तकनीकी–वाणिज्यिक और वित्तीय मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक प्रपत्र सम्मिलित हैं। प्रयोगशालाओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे मैनुअल में दिए गए प्रारूप के अनुसार तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन का एमओएम तैयार करें।

7. अनुबंध करारों पर हस्ताक्षर (साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स): यह देख गया है कि वस्तुओं के क्रय हेतु मैनुअल (एमपीजी–2029) के प्रावधानों और अर्वाड की अधिसूचना/आशय पत्र (एलओआई) जारी होने के बाद अनुबंधों के समापन के संबंध में निविदा दस्तावेजों में संबंधित शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के संबंध में जीएफआर–2017 खंड 225 (iv) (सी) में निर्धारित शर्तों का ईमानदारी से अनुपालन किया जाए।

8. क्रय आदेश जारी करना (इशुएंस ऑफ पर्चेज़ ऑर्डर): प्रयोगशालाओं/संस्थानों को क्रय आदेश जारी करते समय यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि क्रय आदेश पर विशेष रूप से दूसरी बातों पर सहमत होने के अलावा निविदा दस्तावेज में निहित निबंधन एवं शर्तें लागू होगें।

जारी......

9. एमएसई क्लॉज का अनुबंध (स्टिपुलेशन ऑफ एमएसई क्लॉज़) : एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी वस्तुओं/सेवाओं के क्रय में एमएसई को वरीयता देने संबंधी नवीनतम आदेश/दिशानिर्देश अनिवार्य रूप से निविदा दस्तावेज में सम्मिलित किए जाएं।

भवदीय,

योगेन्द्र

(योगेन्द्र प्रताप सिंह)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. महानिदेशक, सीएसआईआर, नई दिल्ली का कार्यालय
2. संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार सीएसआईआर, नई दिल्ली का कार्यालय
3. प्रमुख, आईटी, सीएसआईआर (मेल के माध्यम से)–इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।
4. कार्यालय प्रति